

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र


अधीनस्थ अधिकारी
नगर पंचायत रेणुकूट
सोनभद्र


अध्यक्ष
नगर पंचायत रेणुकूट
सोनभद्र (उ०प्र०)